(13)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संख्या प्र02–बी01 53/2010 1796 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– बिहार राज्य प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा प्रखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 03.03.2011 को आयोजित काउन्सेंलिंग के समय निर्मित पैनल से राज्य आयोग/राज्य के सभी जिला उपभोक्ता फोरमों के लिए निम्नवर्गीय लिपिक/बेंच क्लर्क को संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरमों में निम्नवर्गीय लिपिक/बेंच क्लर्क के अनेक पद रिक्त पड़े हुये है। इन सृजित पदो के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1997 में नियुक्ति की कार्रवाई की गयी थी। उक्त नियुक्ति बिहार राज्य खाद्य निगम के अतिरेक कर्मियों को समायोजित करते हुये की गयी थी। इनकी नियुक्ति का निर्णय राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत रोस्टर निर्धारित करा कर किया गया था। विभाग के निर्णयानुसार समायोजित कर्मियों की नियुक्ति जिला पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। ऐसे नियुक्त कर्मियों को संबंधित जिला संवर्ग में विलीन करने संबंधी आदेश भी निर्गत किये गये थे लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न जिलों में उपभोक्ता फोरमों में पद रिक्त पदों पर नियमित अथवा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर कारगर पहल नही हो सकने के कारण तृतीय श्रेणी के अधिकांश पद रिक्त पड़े हुये है जिससे फोरम का कार्य प्रभावित हो रहा है।

2 कृपया ज्ञातव्य हो कि जिला फोरम, सारण के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु अवमाननावाद संख्या 10/2011 दायर किया गया है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु आदेश पारित किया गया है। बिहार राज्य उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 6 के अनुसार फोरम के वर्ग 3 के सभी पद राज्य स्तरीय है। जिला उपभोक्ता फोरम, छपरा में वर्ग 3 एवं 4 के पद रिक्त रहने के फलस्वरूप हाल ही में एक अवमाननावाद भी राज्य सरकार के विरूद्व दायर किया गया है। फलस्वरूप वर्ग 3 के रिक्त पदो को भरे जाने हेतु नियमित नियुक्ति की कार्रवाई विभाग के द्वारा आरंभ कर दी गयी है।

3 जिला उपभोक्ता फोरम के कार्य की प्रकृति की विशिष्टता एवं भारत सरकार द्वारा निदेशित कॉन्फोनेट योजना के तहत जिला उपभोक्ता फोरम/राज्य आयोग के न्यायालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ते हुये सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का संघारण ऑनलाईन करने की अनिवार्यता को ध्यानगत रखते हुये सिर्फ वर्ग 3 के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय स्तर से केन्द्रीयकृत रोस्टर के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।